संख्या–2182/15–07–2020–1(20)/2020

प्रेषक,

आर्यका अखौरी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3–सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

5–समस्त जिलाविद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–07 **लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2021**

विषयः– प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा–9 से कक्षा–12 के विद्यालयों को एक पाली (सिफ्ट) में खोले जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्रांक–1549/15–7–2020–1(20)/2020, दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड–19 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा–9 से कक्षा–12 के विद्यालयों में दो पालियों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा–9, 10, 11 एवं 12 में पठन–पाठन हेतु के विद्यालयों को एक पाली (सिफ्ट) में प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अतः शासनादेश संख्या–1549/15–7–2020–1(20)/2020, दिनांक 10.10.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझते हुये, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर्यका अखौरी)
विशेष सचिव।

IPS GO NEW

Scanned by TapScanner